

## CERTIFICATE OF LAND

File No.: \_\_\_\_\_

Date: 23.04.2026

Certified that the land measuring <sup>8030</sup> ~~8980~~ sq. m. (area of land in square meters) is owned by **Maharishi Institute of Creativity Intelligence** (name of the owner) by way of **Lease Deed** (Sale Deed/Conveyance Deed/Gift Deed/Allotment Letter, etc.).

(In case of allotment of land, if it is not perpetual, periodicity of allotment to be mentioned from 27.09.2022 to 27.08.2052.

It is further certified that the owner of the land has leased the said land to **Maharishi Shiksha Sansthan** (in case of lease/sub-lease only), (name of the School/Society/Trust/Company under Section 8 of Companies Act, 2013), fully described in the schedule mentioned hereinafter, with the following details for a period of 29 years 11 months from 27.09.2022 to 27.08.2052.

Sl. No.	Particulars	Details
1	Plot No./Survey No./Khasra No./Khata No./Khatauni No.	Khasra No. 1/6 <u>Area: 8030 Sq. m.</u>
2	Name of street/village, Sub Division, District and State	Kulbehara Ward, Chhindwara

It is certified that the said entire land comprises a single contiguous plot of land. It is further certified that **Maharishi Vidya Mandir, Nagpur Road, Sarra, Chhindwara** (name of the school with name of street, village, sub-division and district), run by **Maharishi Shiksha Sansthan** (Society/Trust/Company under Section 8 of Companies Act, 2013), is located on the said plot of land.

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO <sup>8030</sup> ~~8980~~ sq. m. (area of land in square meters) situated in Khasra No. 1/6 at Kulbehara Ward, Nagpur Road, Sarra, Chhindwara (M.P.) and bounded as follows:

North: Open Land (Maharishi Vidhya Mandir open land)

East: Nagpur Road

West: Open Land (Maharishi Vidhya Mandir open land)

South: Land of Shri Mahendra Kunwar and G.S. Patilkar and other land holder

DM / ADM / SDM / TEHSILDAR / NAIB TEHSILDAR / REGISTRAR / SUB-REGISTRAR / EQUIVALENT LAND AUTHORITY

(Stamp and Signature of the Land Authority)

(Name of Officer)

(Name of District)

  
तहसीलदार  
चिन्धवा-नगर

एस.के. चौरिया  
पटवारी  
प.ह.उं. 15  
28/04/26

जयश्री  
कान्ति चिन्धवाडा  
नगर 03.

मि. २७

क्र. 1736/20/ 799/21 दिनांक 27/7/21

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी  
हिन्दवाड़ा

// न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हिन्दवाड़ा //

रजि. प्र. क्र. 24 /अ-2/90-91

महोदय इ-टीट घट घणारी  
~~श्रीमति~~ विजय कुमार चिरा शीतल कुमार  
द्वारा

(37)

श्रीमति जी. सक्सेना  
महर्षि इंस्टीट्यूट सरा  
हिन्दवाड़ा

----- आवेदिका

विक्रय

म. प्र. क्र. ३३३३

--- अनावेदक

न्यायालय उपयोग हेतु  
मुख्य प्रतिनिधिकार  
न्यायालय कार्यालय हिन्दवाड़ा

आदेश

अक्टूबर  
21 दिनांक 1991



आवेदिका प्रचार्या महर्षि इंस्टीट्यूट सरा ने एक आवेदन दिनांक 25-4-91 को प्रस्तुत कर ग्राम सरा की भूमि ख.न. 1/1 एकबा 17.58 एकड़ में से अंशभाग 2.00 एकड़ भूमि के व्यपत्तान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में यह व्यक्त किया है कि वह प्रश्नाधीन भूमि का व्यपत्तान एम.ए.डी.एम.पब्लिक स्कूल के भवन निर्माण करना चाहती है। आवेदिका ने अपने आवेदन के साथ खसरा क्रि.सं. वर्ष 87 से 90-91 स्थल का नक्शा, अधिकार अभिलेख वर्ष 67-68, पुंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21-7-89 एवं स्कूल भवन का ले आउट प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में सहायक संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन हिन्दवाड़ा का अभिमत प्राप्त किया गया एवं राजस्व निरीक्षक डायवर्सन से स्थल निरीक्षण कराया गया।

सहायक संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन हिन्दवाड़ा ने अपने पत्र क्रमांक 426/नगानि/91 दिनांक 19-6-91 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के व्यपत्तान किये जाने में अपनी अनापत्ति निम्न शर्तों के अधीन रखते हुए दी है -

- 1- आवेदिका प्रश्नाधीन भवन का निर्माण भवन मानचित्र में दर्शाये अनुसार एच.टी. लाइन से 6 मीटर छोड़कर ही निर्माण करेगी।
- 2- आवेदिका नगपुर हिन्दवाड़ा मार्ग की चौड़ाई के मध्य से 60 फुट भूमि छोड़कर बाऊन्ही बाल का निर्माण करेगी एवं स्थल के सम्मुख मार्ग

17/21/91  
अनुविभागीय अधिकारी  
हिन्दवाड़ा

Handwritten notes in the top left corner, partially obscured.

Handwritten text at the top center, possibly a title or reference.

गाव सरळ क्र. 538

महवि उन्मदी वृत्त प्रमारी विजय कुमार

खेडगाडा

पहरी का खेत

P.O.D



आज्याची का खेत



एक एकका क्षेत्र  
1/1 1758 2 एकका

पहरी का खेत

आज्याची का खेत  
P.O.D

Handwritten signature and date: 9/20/2019

पर वृक्षारोपण किए जा रहे हैं।

(39)

राजस्व निरीक्षक डायवर्सन ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 16-10-91 में यह व्यक्त किया है कि प्रस्ताधीन भूमि के व्यपत्तन से तात्त्विक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को कोई धारा उत्पन्न होने की सम्भवा नही होगी राजस्व निरीक्षक डायवर्सन से यह भी व्यक्त किया है कि बिना स्वीकृति के भवन निर्माण कर लेने के कारण अर्धवृद्ध आरोपित किया जाना उचित होगा।

प्रस्ताधीन भूमि नगर पालिका क्षेत्र के बाहर है तथा नगर पालिका प्रशासक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नही है।

इस प्रकरण का आधोपान्त अवलोकन किया। ग्राम तराई स्थित भूमि ख. नं. 1/1 रकबा 17.58 <sup>अंगुनामा</sup> एकड़ से ~~अधिक~~ 2.00 एकड़ भूमि का व्यपत्तन निम्न शर्तों के अधीन रखी हुए किया जाता है -

- अ- आवेदिका / भूमिस्वामी सहायक संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन क्षेत्र छिन्दवाड़ा के पत्र क्र० 426/नगानि/91 दिनांक 19-6-91 द्वारा अधोरोपित की गई शर्तों का पालन करेगी।
- ब- आवेदिका इंडियन इलेक्ट्रिक स्कट एवं म० प्र० विद्युत मंडल द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करेगी।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यह अनुमति निरस्त की जा सकेगी। आवेदिका / भूमिस्वामी ने व्यपत्तन के पूर्व निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है अतः संज्ञित धारा 172 & 48 के अन्तर्गत 200/- अर्धवृद्ध आरोपित किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पक्षकार सूचित हो।

छिन्दवाड़ा  
दि० 21/10/91

*P. K.*  
21/10/91  
अनुविभागीय अधिकारी सी  
छिन्दवाड़ा

सत्यम सिलिपि  
22/10  
मुख्य प्रतिलिपिकार  
जिलाध्यक्ष कार्यालय छिन्दवाड़ा




27/7/21

1. प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख .....
2. आवेदन को उपस्थित होने के लिये बताई गई तारीख .....
3. आवेदन के उपस्थित होने की तारीख ..... 27/7/21
4. सही जानकारी के अभाव में प्रतिलिपि का करने या रोक दिये जाने की तारीख .....
5. प्रकरण के लिये नई प्रतिलिपि / सफा करने या प्रति नहीं भेजने की तिथि .....
6. कार्य में अग्रिम पत्र आने के लिये या सही जानकारी देने की तारीख ..... 27/7/21
7. प्रतिलिपि भेजा जाने की तारीख ..... 27/7/21
8. प्रतिलिपि भिजे जाने या भेजे जाने की तारीख ..... 30/90
9. प्रकरण की नई न्यायालय फीस .....

  
प्रतिलिपिदार

  
निदेशक

  
27/7